।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः–गो.प्र./ए.सी.आर./2003–04/परिपत्र/4080-124 दिनांक :– 26/4/13

1 उपमहानिरीक्षक कारागार,
रेंज–जयपुर,जोधपुर,उदयपुर ।

2. समस्त, अधीक्षक/उपाधीक्षक,
केन्द्रीय/जिला कारागृह ।

3. उपाधीक्षक,
महिला सुधारगृह,
जयपुर/जोधपुर ।

विषयः– वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के संदर्भ में निर्देश/दिशानिर्देश।

–000–

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प013(51)का./क–1/गो.प्र./2012 दिनांक 22 फरवरी 2013 से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 7631/2002 देवदत्त बनाम यूनियन आफ इडिया में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2008 के तहत राज्य सेवक द्वारा स्वंय की कार्य मूल्यांकन पर प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता द्वारा किये गये कार्य मूल्यांकन के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा एवं प्रकिया अनुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्न निर्देश/दिशानिर्देश प्रदान किये है :–

1. कार्य मूल्यांकन प्रतियदेन पूर्ण होने के बाद कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित विभागाध्यक्ष/कॉडर नियन्त्रण अधिकारी अपने अभिरक्षा में रखेगें ।

2. विभागाध्यक्ष/कॉडर नियन्त्रण अधिकारी द्वारा संबंधित लोकसेवक का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होकर प्राप्त होने पर संबंधित लोकसेवक को सूचित कर अवलोकन हेतु आमंत्रित किया जाएगा एवं लोकसेवक को प्रतिवेदन का अवलोकन कराने के पश्चात "अवलोकन किया" का प्रमाण–पत्र लिया जाएगा । यदि अवलोकन पश्चात लोक सेवक अपने कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी की ग्रेडिंग/टिप्पणी/मूल्यांकन से सन्तुष्ट नहीं हो तो वह ग्रडिंग/टिप्पणी/मूल्यांकन सुधार हेतु 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन संबंधित विभागाध्यक्ष/कॉडर नियन्त्रण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

3. यदि संबंधित लोकसेवक अपने मूल्यांकन के विरूद्ध 15 दिवस में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करें तो कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्मिक/संबंधित विभाग को भिजवायेगे ।

4. यदि लोकसेवक द्वारा किये गये मूल्यांकन के विरूद्ध ग्रेडिंग/टिप्पणी/मूल्यांकन में सुधार हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तो विभागाध्यक्ष/कॉडर नियन्त्रण अधिकारी सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर एक माह में उस पर निर्णय लेवें ।

5. यदि विभागाध्यक्ष/कॉडर नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर लिये गये निर्णय से लोकसेवक सन्तुष्ट नहीं हो तो वह उसके विरूद्ध अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

6. इन निर्णयों के विरूद्ध सभी विभागों को विभिन्न सेवा संवर्गो के लिये सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में अपीलीय बोर्ड का गठन करना होगा । जो विभागाध्यक्षों/कॉडर नियन्त्रण अधिकारी द्वारा ग्रेडिंग/टिप्पणी/मूल्यांकन में सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पर लिए गये निर्णय की सुनवाई करेगा एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय लेगा ।

उक्त निर्णय तुरन्त प्रभाव से लागू होगा ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय कारागार, जयपुर ।
2. अधीक्षक कारागार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय कारागार, राजस्थान,जयपुर ।
4. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर ।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, अति.महानिदेशक कारागार राजस्थान,जयपुर ।
6. उपाधीक्षक, समस्त मुख्यालय कारागार, राजस्थान, जयपुर ।
4. रक्षक पत्रावली ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर